(वाद सं0– 6784/4/10/2022)

03.01.2024

प्रसंगाधीन मामला समस्तीपुर जिला के रोसड़ा नगर परिषद में कार्य कर रहें दैनिक मजदुर, रामसेवक राम, द्वारा मजदूरी की माँग करने पर उल्टे उसके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने तथा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर, उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करने व हाजत में बंद कर देने के बाद उसकी तबियत खराब हो जाने पर ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाने से सम्बन्धित परिवादी, रविन्द्रनाथ सिंह, पूर्व जिला सांसद प्रतिनिधि, समस्तीपुर के परिवाद से सम्बन्धित है।

उक्त पर **पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **पुलिस उप महानिरीक्षक (मानवाधिकार), बिहार, पटना** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस सम्बन्ध में समस्तीपुर अनुसूचित जाति/जनजाति थाना काण्ड संख्या–72/2022, दिनांक–16.09.2022 संस्थित किया गया है, जो वर्तमान में अन्वेषणान्तर्गत है। प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि मृतक रामसेवक राम, के आश्रित को मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है।

प्रसंगाधीन मामले को प्रथम दृष्टतया मानवाधिकार हनन का मामला पाकर अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना एवं निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना से संयुक्त रूप से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना एवं निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना का संयुक्त जाँच प्रतिवेदन संचिका के (पृष्ठ 230–214/प0) पर रक्षित है।

तत्पश्चात बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक प्रतिवेदन इस आशय का समर्पित किया गया कि उपरोक्त काण्ड

संख्या–72/2022, दिनांक–16.09.2021 वर्तमान में अन्वेषणान्तर्गत है तथा काण्ड में अग्रत्तर अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्त्ता, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय को 13 बिन्दुओं पर जाँच हेतु आदेश निर्गत किया गया है।

अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना एवं निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक मृतक, रामसेवक राम, की तथाकथित मृत्यु के सम्बन्ध में चिकित्सकों के मंतव्य हेतु संचिका को निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना को भेजते हुए उनसे प्रसंगाधीन मामले में चिकित्सीय मंतव्य की मांग की गयी।

न्यायिक चिकित्सा एवं विष विज्ञान विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना का प्रतिवेदन संचिका के (पृष्ठ 258–255/प0) पर रक्षित है। **न्यायिक चिकित्सा एवं विष विज्ञान विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना** द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष दिया गया हैः–

1. Patient died due to complications of Cerebro-vascular disease.
2. No evidence of any medical or administrative negligence could be found from the available documents.

अब जबकि प्रसंगाधीन मामले की जाँच के क्रम **न्यायिक चिकित्सा एवं विष विज्ञान विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना** द्वारा मृतक, रामसेवक राम, के ईलाज में कोई लापरवाही नहीं बरतने का उल्लेख किया गया है तथा उसकी मृत्यु ‘‘Patient died due to complications of Cerebro-vascular

disease" के कारण हुई बतायी जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले में राज्य आयोग के स्तर से अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रसंगाधीन मामले को न्यायिक चिकित्सा एवं विष विज्ञान विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना के चिकित्सीय प्रतिवेदन के आलोक में संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ न्यायिक चिकित्सा एवं विष विज्ञान विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना के प्रतिवेदन (पृष्ठ 258–250/प0) की प्रति संलग्न कर, तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव